निर्यातोन्मुखी एककों/निर्यात संवर्धन एककों द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा न किया जाना

*87. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई निर्यातोन्मुखी एककों/निर्यात संवर्धन एककों ने सरकारी अधिकारियों की सांठगांठ से अपने निर्यात दायित्व को पूरा नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान ऐसे कितने एककों के खिलाफ कार्यवाही की गई ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि निर्यात दायित्व को पूरा न कर पाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को बदनामी उठानी पड़ रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) निर्धारित मूल्यवर्धनों के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकने के परिणामस्वरूप, निर्यात दायित्व पूरा करने के मामले में कुछ निर्यातोन्मुखी एककों की न्यूनतायें तो बताई गई हैं किन्तु, यह कहना सही नहीं है कि यह दायित्व सरकारी अधिकारियों की सांठ-गाँठ से पूरा नहीं किया गया है ।

(ख) तथा (ग) निर्यात दायित्व को पूरा किये जाने की नियमित आधार पर मानीटरिंग की जाती है । वर्ष 1993-94 के दौरान विदेश व्यापार महा-निदेशालय के प्रवर्तन प्रभाग द्वारा 15 मामलों में कार्यवाही की गई है ।

(घ) निर्यातोन्मुखी एककों/निर्यात संसाधन जोन एककों द्वारा निर्यात संवि-दाएं पूरी नहीं किये जाने के संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिकूल प्रचार हुआ हो ।

Reviving Reduced Quota of Sugar to Ration Card holders in the country

*89. DR. RANBIR SINGH :
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that supply of sugar through PDS was reduced to 200 gm. per unit by States including the National Capital territory of Delhi due to less allocation of sugar from Central Pool; and

(b) if so, whether Government are going to revive the quota of sugar and if so, by when?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) Decisions on monthly entitlement of Commodities under the Pubic Distribution System (PDS) for consumers are taken by the State Governments/UT Administrations as the matter is under their administarative jurisdiction. Levy sugar allocations to States/UTs for the PDS is generally made on a uniform norm of 425 gms. per capita monthly availability to the projected population as on 1-10-86. The Central Government has not received any report that supply of sugar through PDS has been reduced to 200 gms. per unit by any State/UT including NCT of Delhi.

(b) Does not arise.

Journalists' Wage Board

*90. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Wage Boards for journalists and the newspaper employees constituted by the Central Government on 2nd September, 1994, have started functioning;

(b) if not, what are the reasons therefor; and

(c) what criteria the Ministry has followed in selecting the workers representatives on both the Boards?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (c) Yes, Sir; the secretariat of the Wage Boards has been doing preparatory work since their constitution. A meeting of the Wage Boards has also been convened on 3-4-1995. Workers representatives on both the Boards have been selected on the basis of the recommendations of the Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees Organisations.

मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी

*91. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक प्रतिष्ठानों में मजदूरों को न्यूनतम एवं निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध मे कोई कार्रवाई की है अथवा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में कोई विचार-विमर्श किया है अथवा ऐसा करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने नियमों का उल्लघंन करने वाले ऐसे प्रतिष्ठानों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की है ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन और प्रवर्तन के लिये समुचित सरकारे है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रहती है । सरकार ने 29-30 सितम्बर, 1994 को भुवनेश्वर में पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, 4 अक्तूबर, 1994 को त्रिवेन्द्रम में दक्षिणी क्षेत्र और 25 अक्तूबर, 1994 को जयपुर में मध्य तथा उत्तरी क्षेत्रों के क्षेत्रीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलन आयोजित किये हैं । इन सम्मेलनों में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया था । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्त्तन को सुदृढ़ बनाने के लिये अनेक निर्णय लिये गये है । इनमें प्रिंट मीडिया, रेडियो प्रसारण, इलैक्ट्रानिक मीडिया, होर्डिंग आदि के माध्यम से अधिनियम के उपबंधों का व्यापक प्रसार, अधिनियम के उल्लंघन के लिये शास्ति में बढ़ोतरी, दावा प्राधिकारियों की नियुक्ति के लिये पात्रता मानदंड का प्रसार, दावा निपटान पद्धतियों को सरल बनाना आदि शामिल है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को अन्य सहयोगी विभागों की सहायता लेकर, निरीक्षको की संख्या में वृद्धि कर के, और जिला स्तरीय निगरानी समितियां आदि गठित करके प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किये जाने की भी सलाह दी गयी है ।

Production of rubber

*92. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the total production of rubber during the last three years in the country, state-wise;

(b) the total requirement of rubber during the currnt year in the country, industry-wise;

(c) whether the Government have any proposal to import natural rubber during the current year; and

(d) if so, the details thereof and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The total pro-